


रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या आर.बी.डी सं० 131/2010 सं० ई(पी एण्ड ए) 1-2010 आर. टी. 2 दिनांक 11.09.2010 के द्वारा प्रसारित 1800/-, 1900/- ग्रेड पे वाले संरक्षा कोटियो हेतु निर्धारित लिक्विडिज्ड एक्टिव रिटायरमेंट फोर गारन्टेड एम्प्लायमेंट स्कीम के तहत श्री राजेन्द्र शर्मा, गेटमैन /दुरोंधा द्वारा अपने पुत्र श्री अक्षय लाल शर्मा की नियुक्ति एवं अपने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु आवेदन किया था। मंरेप्र (का.) / वारा. की अधिसूचना सं० का/लार्सजेस/ग्यारहवा चक्र/16 दिनांक 12.01.2017 के आधार पर श्री अक्षय लाल शर्मा को सफल घोषित किये जाने के सापेक्ष श्री राजेन्द्र शर्मा, गेटमैन /दुरोंधा को दिनांक 20.01.2017 से सशर्त लार्सजेस स्कीम के तहत स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति किया जाता है, तथा श्री राजेन्द्र शर्मा गेटमैन /दुरोंधा के आश्रित पुत्र श्री अक्षय लाल शर्मा जो मेडिकल श्रेणी ए-2 (मेडिकल प्रमाण पत्र सं० 002336/75 दिनांक 11.01.2017) मे सफल घोषित किये गए है, को पे मेट्रिक्स लेवल 01 वेतन 18000 (वेतनमान 5200-20200+1800 ग्रेड पे) गेटमेन के पद पर दिनांक 20.01.2017 से दुरोंधा स्टेशन पर स्टेडी/ दुरोंधा के अधीन पदस्थापित किया जाता है।


ये ग्रुप डी मे अस्थायी रेल कर्मचारियों पर लागू होनेवाले नियमो एवं दिनांक 01.01.2004 से लागू नई पेंशन प्रणाली के अंतर्गत शामिल होंगे। इन्हे वेतन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा इसके अतिरिक्त प्रादेशिक सेना के अनिवार्य युनिट मे 07 वर्ष तथा प्रादेशिक सेना के आरक्षित वर्ग में 08 वर्ष अथवा समय-समय पर निर्धारित अवधियों के सैन्य सेवा में लगाये जाने के पात्र होंगे। इनके रेल सेवा में बने रहना संतोषजनक पुलिस साक्ष्यांकन एवं शैक्षणिक तथा जाति सत्यापन की रिपोर्ट पर आधारित होगा। इस संबंध मे अगर कोई प्रतिकूल रिपोर्ट पायी जाती है तो इन्हे रेल सेवा से तत्काल हटा दिया जायेगा एवं इनके विरुद्ध तदनुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

उक्त पर मपचाप्र वाराणसी का अनुमोदन प्राप्त है।



सहायक कार्मिक अधिकारी
पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी

अक्षय लाल शर्मा



सहायक कार्मिक अधिकारी
पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी

राजेन्द्र शर्मा



समंपरिप्र/वारा

दिनांक 20.01.2017

सं० का/परि/227/नियुक्ति/च.श्रे./12

1. वमविप्र/वारा., वमचाप्र/वारा.
2. कार्यालय आदेश पुस्तिका
3. मुकार्याधी/ परिचालन बिल
4. मुख्य कार्याधी/समापक बिल
5. सेवा पुस्तिका
6. संबंधित कर्मचारी/ स्टेडी/दुरोंधा
7. वीट निरीक्षक
8. मण्डल मंत्री, नरमू, अजा, अजजा, ओबीसी एसो.
9. अन्य प्रति

12/17
उक्त मंरेप्र (का.)
वाराणसी